कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बांदा वन प्रभाग, बांदा

पत्रांक –4422/33–1 बांदा दिनांक : जून 18 ,2016

सेवा में,

अधिशाषी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0,
बांदा।

विषय :– **बुन्देलखण्ड विकास निधि हेतु ककनारे बाबा नाला पर 2X5 मी0 स्पान एवं 7.00 मी0 ऊंची आर0सी0सी0 बाक्स कल्वर्ट एवं मरम्मत हेतु 0.30 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भ :– **भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/06/2016/एफ0सी0/77 दिनांक 13.05.2016**

उपरोक्त विषयांकित सन्दर्भित पत्र जो नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त, लखनऊ को सम्बोधित एवं आपको/इस कार्यालय/अन्य को पृष्ठांकित है, के द्वारा केन्द्र सरकार बुन्देलखण्ड विकास निधि हेतु ककनारेबाबा नाला पर 2X5 मी0 स्पान एवं 7.00 मी0 ऊंची आर0सी0सी0 बाक्स कल्वर्ट एवं मरम्मत हेतु 0.30 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं 1710 वृक्षों के पातन की सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। दी गयी शर्तो के अनुपालन हेतु निम्नलिखित रूप से धनराशि मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्प, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक– 1470/2–37 (ई–पेमेंट पोर्टल) दिनांक 18.03.2016 जिसकी छायाप्रति संलग्न है, अनुसार जमा कर शर्तो की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें :–

शर्त नम्बर – 01

प्रभावित वृक्षों के दस गुने अर्थात 1710 वृक्षो के वृक्षारोपड़ एवं दस वर्षो तक रख–रखाव हेतु मु0 1527500.00 (रू0 पन्द्रह लाख सत्ताईस हजार पांच सौ) उक्त पत्र के निर्देशानुसार जमा करना है।

शर्त नम्बर – 02 क

भारत सरकार के पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0)=0.30X887000=266100 (दो लाख छाछठ हजार एक सौ रू0) जमा करना है।

शर्त नम्बर – 02 ख

उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी–25230 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार उपक्रम) नई दिल्ली, लोधी काम्पलेक्स में जमा की जायेगी। जिसके उपरान्त पावती की छायाप्रति जमा की गयाी धनराशि का बैंक/आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 (जो भी लागू हो) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया है) इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि विधिवत् स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

शर्त नम्बर – 02 ग

इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करें कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

शर्त नम्बर – 03

विधिवत् स्वीकत जारी होन के उपरान्त प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा।

उक्त विषयांकित सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित शर्तो के अनुपालन आख्या यथा शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि विधिवत स्वीकृति हेतु आपेक्षित कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
बांदा वन प्रभाग, बांदा